

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग,

फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए

प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)



कॉर्पोरेट संचार प्रकोष्ठ

प्रधान कार्यालय, राष्ट्रीय आवास बैंक

तीसरी मंजिल, कोर 5-ए, भारत पर्यावास केंद्र, लोधी रोड

नई दिल्ली - 110 003

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

1. महत्वपूर्ण बोली विवरण		
1.	बोली आरंभ होने की तिथि	01-08-2022
2.	बोली दस्तावेज प्राप्त करने की अंतिम तिथि एवं समय	जेम के अनुसार
3.	बोली पूर्व बैठक की तिथि एवं समय	03-08-2022 04:00 PM
4.	तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	जेम के अनुसार
5.	बोलीदाताओं द्वारा तकनीकी प्रस्तुति	बोलीदाताओं को अपनी तकनीकी बोली पर प्रस्तुतिकरण करने हेतु तिथि एवं समय का सूचित किया जाएगा। एजेंसियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से/भौतिक रूप से प्रस्तुति देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।
6.	किसी भी स्पष्टीकरण हेतु संपर्क व्यक्ति	सुश्री प्रमा बसु, प्रबंधक, रा.आ.बैंक लैंडलाइन : 011-3918-7200 मोबाइल - 9958333158; ईमेल : prama.basu@nhb.org.in श्री तुषार कुमार, उप प्रबंधक, रा.आ.बैंक लैंडलाइन : 011-3918-7316 मोबाइल - 9647633667; ईमेल: tushar.kumar@nhb.org.in
7.	बोली पर प्रस्तुतिकरण का प्रकार	सरकारी ई-बाजार प्लेस (जेम) पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन
8.	विक्रेता का प्राधिकृत व्यक्ति विवरण	विक्रेता का नाम: प्राधिकृत व्यक्ति का नाम: प्राधिकरण दस्तावेज संदर्भ: ईमेल एवं मोबाइल नंबर सहित प्राधिकृत व्यक्ति का पदनाम एवं संपर्क विवरण:

नोट:- बोली पूर्व बैठक में शामिल होने हेतु लिंक मीटिंग की तिथि से पहले बैंक की वेबसाइट पर प्रकाशित किया जाएगा।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

2. राष्ट्रीय आवास बैंक

राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक), एक सांविधिक संगठन है जिसकी स्थापना राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 (“अधिनियम”) के तहत की गई है।

क. राष्ट्रीय आवास बैंक की स्थापना अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने हेतु की गई है:

- आबादी के सभी वर्गों की जरूरत को पूरा करने और कुल मिलाकर वित्तीय प्रणाली के साथ आवास वित्त प्रणाली को एकीकृत करने हेतु ठोस, बेहतर, व्यवहार्य और लागत प्रभावी आवास वित्त प्रणाली को बढ़ावा देना।
- विविध क्षेत्र और विभिन्न आय वर्ग को पर्याप्त तौर पर सहायता प्रदान करने हेतु समर्पित आवास वित्त संस्थानों के एक तंत्र को बढ़ावा देना।
- इस क्षेत्र के लिए संसाधनों को बढ़ाना और आवास हेतु इन्हें उपलब्ध कराना।
- आवास ऋण को अधिक किफायती बनाना
- अधिनियम के तहत प्राप्त विनियामक एवं पर्यवेक्षी प्राधिकरण के आधार पर आवास वित्त कंपनियों की गतिविधियों की निगरानी करना।
- आवास हेतु भवन निर्माण योग्य भूमि की आपूर्ति के विस्तार को प्रोत्साहित करना और देश में आवासीय स्टॉक को अद्यतित करना।
- आवास हेतु सेवित भूमि के सुविधाप्रदाता और आपूर्ति कर्ता के तौर पर उभरने हेतु सार्वजनिक एजेंसियों को प्रोत्साहित करना।

ख. रा.आ.बैंक का प्रधान कार्यालय नई दिल्ली में स्थित है एवं इसके क्षेत्रीय कार्यालय मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु और नई दिल्ली में स्थित हैं। बैंक के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कार्यालय चेन्नई, भोपाल, लखनऊ, गुवाहाटी और अहमदाबाद में स्थित हैं।

3. उद्देश्य

राष्ट्रीय आवास बैंक (इसके बाद रा.आ.बैंक के रूप में संदर्भित), जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है, वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए विक्रेताओं (जिनके कार्यालय दिल्ली/एनसीआर में हैं) से प्रस्ताव का अनुरोध कर रहा है।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

4. कार्य-क्षेत्र

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

5. बोली की भाषा

बोलीदाताओं द्वारा तैयार बोली के अलावा बोलीदाता एवं रा.आ.बैंक के बीच बोली से संबंधित आदान-प्रदान किये जाने वाले सभी पत्राचार एवं दस्तावेज एवं समर्थित दस्तावेज व मुद्रित साहित्य अंग्रेजी में लिखी जाएगी।

6. बोली की लागत

बोलीदाता बोली को तैयार करने और जमा करने से संबंधित हानि सहित सभी लागतों को वहन करेगा और रा.आ.बैंक किसी भी मामले में बोली प्रक्रिया के संचालन या परिणाम की परवाह किए बिना लागत या हानि हेतु जिम्मेदार या उत्तरदायी नहीं होगा।

7. बोली दस्तावेज

बोलीदाता से अपेक्षित है कि वह बोली और संबंधित दस्तावेजों में सभी निर्देशों, प्रपत्रों, नियमों एवं शर्तों और तकनीकी विशिष्टताओं की जांच करें। हर तरह से बोली दस्तावेज के प्रति उत्तरदायी नहीं होने वाली बोली प्रस्तुत करना बोलीदाता के जोखिम पर होगा एवं इसके परिणामस्वरूप बोलीदाता को आगे कोई संदर्भ दिए बिना बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।

8. बोली दस्तावेजों में संशोधन

बोली प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि एवं समय से पहले किसी भी समय, रा.आ.बैंक, किसी भी कारण से, रा.आ.बैंक के विवेकाधिकार पर, संशोधनों द्वारा, बोली दस्तावेज को संशोधित कर सकता है। सभी संशोधन, सभी बोलीदाताओं को सूचित किये जाएंगे।

संभावित बोलीदाताओं को उनकी बोली तैयार करने में संशोधन/यदि कोई संशोधन का संज्ञान लेने के लिए उचित समय प्रदान करने हेतु, राष्ट्रीय आवास बैंक अपने विवेक पर, आवश्यक समझी जाने वाली बोलियों को जमा करने की समय सीमा बढ़ा सकता है।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

9. वैधता की अवधि

बोलियां रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित बोली खोलने की तिथि से **छह माह (6 महीने)** हेतु वैध रहेंगी। कम अवधि हेतु वैध बोली को गैर-उत्तरदायी के रूप में रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

वैधता अवधि का विस्तार:- असाधारण परिस्थितियों में, रा.आ.बैंक के पास बोली की वैधता को आगे की अवधि के लिए बढ़ाने का अधिकार है। असाधारण परिस्थितियों में रा.आ.बैंक वैधता की अवधि बढ़ाने हेतु बोलीदाताओं की सहमति मांग सकता है। उपर्युक्त कोई भी अनुरोध एवं प्रतिक्रिया लिखित रूप में की जाएगी।

10. बोली मुद्रा

बोलियां केवल भारतीय रूपए में कोट की जाएगी।

11. बोली प्रक्रिया

जेम के अनुसार बोली प्रक्रिया होगी। पूर्व बोली बैठक आयोजित की जाएगी। तकनीकी बोली में कोई मूल्य निर्धारण या वाणिज्यिक जानकारी नहीं होगी अन्यथा बोली को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

बोली अमिट स्याही में टाइप या लिखी जाएगी एवं बोलीदाता या उसके द्वारा विधिवत प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित होगी। बोली के सभी पृष्ठों पर बोली पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति (व्यक्तियों) द्वारा आद्याक्षर किया जाएगा।

एजेंसियों को वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से/भौतिक रूप से प्रस्तुति देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा।

जिन बोलीदाताओं की तकनीकी बोली योग्य पाई जाती है, उन्हें वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु सूचीबद्ध किया जाएगा। सभी तकनीकी रूप से लघु-सूचीबद्ध बोलीदाताओं को अलग से लिखित/मेल में अधिसूचित किया जाएगा।

12. बोलियों का प्रस्तुतीकरण

जेम के माध्यम से बोलियां जमा की जानी हैं। जेम पर सहायक दस्तावेज अपलोड किए जा सकते हैं। अनुलग्नक के अनुसार एक तकनीकी मूल्यांकन किया जाएगा और फिर वाणिज्यिक बोली खोली जाएगी।

13. बोलियां जमा करने की अंतिम तिथि एवं समय

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

उक्त जेम के अनुसार होगा।

14. बोली प्रक्रिया के लिए समय सीमा निम्नानुसार है:

बोली जमा करने की अंतिम तिथि	जेम के अनुसार
तकनीकी बोली मूल्यांकन/प्रस्तुति	योग्य बोलीदाता को नई दिल्ली में रा.आ.बैंक के प्रधान कार्यालय में वीडियो कॉन्फ्रेंस या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से ऑनलाइन मोड के माध्यम से प्रस्तुति देने हेतु आमंत्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय आवास बैंक (रा.आ.बैंक) को प्रस्तुत तकनीकी बोलियों पर प्रस्तुति देने के लिए योग्य बोलीदाता को दिनांक, समय एवं स्थान सूचित किया जाएगा। योग्य बोलीदाता को प्रस्तुति के संबंध में रा.आ.बैंक की वेबसाइट के माध्यम से या ईमेल के माध्यम से सूचित किया जाएगा।
तकनीकी बोली खोलने की तिथि एवं समय	जेम के अनुसार
वित्तीय बोली खोलने की तिथि एवं समय	जेम के अनुसार

15. संशोधन एवं/या बोलियों को वापस लेना

- एक बार प्रस्तुत की गई बोलियों को अंतिम माना जाएगा एवं इस मामले में आगे कोई पत्राचार नहीं किया जाएगा।
- बोलियां जमा करने की समय-सीमा के बाद कोई बोली संशोधित नहीं की जाएगी।
- यदि बोलीदाता सफल बोलीदाता होता है तो किसी भी बोलीदाता को बोली आहरित करने अनुमति नहीं दी जाएगी।

16. प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेजों की सामग्री (न्यूनतम पात्रता मानदंड के रूप में माना जाएगा)

- जेम के अनुसार न्यूनतम कारोबार मानदंड
- सरकारी संगठनों/पीएसयू/पीएसबी/एफआई से प्रदर्शन प्रमाणपत्र
- निगमन प्रमाणपत्र
- जीएसटी पंजीकरण प्रमाणपत्र

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

- v) पैन कार्ड
- vi) पंजीकृत कार्यालय दिल्ली-एनसीआर में होना चाहिए
- vii) रा.आ.बैंक में तैनात किए जाने वाले व्यक्ति की योग्यता

17. बोली खोलना एवं मूल्यांकन

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

18. बोली प्रक्रिया हेतु मूल्यांकन मानदंड

विक्रेताओं से प्राप्त बोलियों का मूल्यांकन उनकी तकनीकी दक्षता के आधार पर किया जाएगा। पहले तकनीकी दक्षताओं का मूल्यांकन किया जाएगा एवं केवल अपेक्षित योग्यता तकनीकी स्कोर रखने वाली फर्म ही वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु पात्र होंगी।

नोट:

- i. बोलीदाताओं को उपरोक्त उल्लिखित प्रत्येक मानदंड के लिए सहायक दस्तावेजों की प्रतियां उपलब्ध करानी होंगी, जिसके बिना बोली को अस्वीकार किया जा सकता है।
- ii. चयन प्रक्रिया में दो चरण होते हैं, 1) तकनीकी मूल्यांकन 2) वाणिज्यिक मूल्यांकन
- iii. तकनीकी बोलियों के लिए न्यूनतम योग्यता अंक कुल 100 अंकों में से 70 (कट-ऑफ अंक) होंगे (प्रस्तुति के लिए अंक सहित) एवं केवल कट ऑफ अंक से अधिक अंक प्राप्त करने वाली बोलियां वाणिज्यिक मूल्यांकन हेतु योग्य होंगी।
- iv. परिग्रहित किये जाने के लिए प्रस्तावित मूल्यांकन मानदंड न्यूनतम लागत पद्धति पर आधारित होगा। तकनीकी मूल्यांकन अर्हक प्रकृति का होगा।

18.1 बोलियों के मूल्यांकन के लिए मानदंड एवं बिंदु प्रणाली (बैंक की वार्षिक रिपोर्ट) निम्नानुसार हैं:

विशेषता	अधिकतम अंक	प्राप्तांक
कवर डिजाइन (न्यूनतम 3 सेम्पल)	20	
कला और डिजाइन (प्रत्येक अध्याय का प्रथम पृष्ठ निर्धारित)	30	

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

विषय के अनुरूप होना चाहिए)		
संकल्पना का प्रवाह	15	
विचार की मौलिकता	15	
प्रस्तुतीकरण	20	
कुल अंक	100	

- ❖ तकनीकी बोली में अर्हता प्राप्त करने वाले बोलीदाताओं को ही उनकी वित्तीय बोली खोली जाएगी। रा.आ.बैंक उन एजेंसियों को सूचित करेगा जिनका चयन प्रथम चरण में उनके द्वारा प्राप्त अंकों का प्रकटीकरण किए बिना किया गया है।

19. वित्तीय बोली

केवल तकनीकी बोली प्रक्रिया के अपेक्षित मानदंडों को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली फर्मों को ही वित्तीय बोली राउंड हेतु पात्र माना जाएगा।

- कृपया ध्यान दें कि रा.आ.बैंक के पास मूल्यांकन मानदंड, कार्यप्रणाली, वितरण बिंदुओं एवं भार को संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है, यदि ऐसा करना आवश्यक हो।

20. वाणिज्यिक नियम एवं शर्तें

- बोलीदाता द्वारा उद्धृत मूल्य में कार्य क्षेत्र को पूरा करने से संबद्ध सभी व्यय शामिल होने चाहिए।
- मूल्य में जीएसटी शामिल होना चाहिए और लागू करों और संबंधित लेवी को शामिल नहीं करना चाहिए, जिसे बिल के भुगतान की तिथि को वास्तविक रूप से लिया जाएगा।
- समायोज्य मूल्य कोटेशन के साथ जमा की गई बोली को गैर-प्रतिक्रियात्मक माना जाएगा एवं उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा।

21. बोलियों का स्पष्टीकरण

जांच, मूल्यांकन और बोलियों की तुलना में सहायता करने के लिए रा.आ.बैंक अपने विवेक से बोलीदाता से स्पष्टीकरण एवं लिखित में प्रतिक्रिया मांग सकता है एवं प्रतिक्रिया लिखित रूप में होगी।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

22. प्रारंभिक जाँच

रा.आ.बैंक यह निर्धारित करने के लिए बोलियों की जांच करेगा कि क्या वे पूर्ण हैं, क्या कोई अभिकलात्मक त्रुटियां की गई हैं, क्या आवश्यक जानकारी बोली दस्तावेज में रेखांकित के रूप में प्रदान की गई है, क्या दस्तावेजों पर ठीक से हस्ताक्षर किए गए हैं, एवं क्या बोलियां सामान्य रूप से क्रम में हैं।

विनिर्देशों के अनुसार सही प्रकार से क्रमित नहीं की गई निर्धारित बोली को रा.आ.बैंक द्वारा अस्वीकार कर दिया जाएगा।

23. रा.आ.बैंक के कर्मियों हेतु अनौपचारिक दृष्टिकोण

बोलीदाता द्वारा बोली मूल्यांकन, बोली तुलना, या अनुबंध पूर्ण निर्णय में रा.आ.बैंक को प्रभावित करने के किसी भी प्रयास के परिणामस्वरूप बोलीदाता की बोली को अस्वीकार कर दिया जा सकता है। रा.आ.बैंक का निर्णय अंतिम और बिना किसी पूर्वाग्रह के होगा और सभी पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

24. किसी भी बोली या सभी बोलियों को स्वीकार या अस्वीकार करने का रा.आ.बैंक का अधिकार

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

25. समाप्ति, अर्थदंड खंड

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

26. संपत्ति पर प्रतिलिप्याधिकार

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

27. अनुबंध-पूर्व सत्यनिष्ठा समझौता

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

28. स्वतंत्र बाहरी मॉनिटर (आईईएम) :

इस आरएफपी के प्रयोजन के लिए नियुक्त आईईएम का विवरण निम्नानुसार है:

- (1) श्री हरे कृष्ण दास; ईमेल आईडी: hkdash184@hotmail.com
- (2) श्री लव वर्मा; ईमेल आईडी: lov_56@yahoo.com

29. कर

रा.आ.बैंक द्वारा प्रदान की गई सेवा की अवधि के दौरान प्रचलित वैधानिक दरों के अनुसार वास्तविक आधार पर केवल जीएसटी का भुगतान किया जाएगा। रा.आ.बैंक स्रोत पर उपर्युक्त कर कटौती करने हेतु प्राधिकृत है जो विक्रेता को किए गए भुगतान के संबंध में लागू कानून/नियमों के अनुसार आवश्यक हो।

30. कानूनों का अनुपालन

कृपया अंग्रेजी आरएफपी का संदर्भ लें।

31. झूठा/अधूरा विवरण

बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया कोई विवरण/घोषणापत्र यदिनिविदा के किसी भी चरण में अथवा अनुबंध के किसी भी चरण में स्वीकारी गर्थी उसकी निविदा की स्थिति में गलत अथवा झूठी साबित होती है अथवा अधूरी पाई जाती है अथवा जैसे निविदा प्रदान करने में किसी प्रकार की प्रासंगिक जानकारी रोकती हैतो उसका/उनकी निविदा(यें)/अनुबंध (धों) को निम्नलिखित के अतिरिक्त निरस्त/रद्द कर दिये जाएंगे:

- (क) यदि ऐसा विवरण निविदा चरण में पाया जाता है, तो बैंक निविदा/बोली संक्षिप्त रूप में अस्वीकार कर दी जाएगी।
- (ख) यदि ऐसा विवरण अनुबंध के चरण में पाया जाता है तो रा.आ.बैंक अपने विवेक से अनुबंध को समाप्त करने के लिए आरएफपी में प्रदान की गई उचित कार्रवाई कर सकता है।

32. भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश के बोलीदाता से खरीद पर प्रतिबंध:

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

- भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से कोई भी बोलीदाता इस निविदा में बोली लगाने हेतु तभी पात्र होगा, जब बोलीदाता सक्षम प्राधिकारी यानी उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) द्वारा गठित पंजीकरण समिति के साथ पंजीकृत हो।
यद्यपि, यदि बोलीदाता उसी देश से हैं (यदि भारत के साथ भूमि सीमा साझा कर रहे हों) जिस देश में भारत सरकार ने ऋण व्यवस्था लागू की हैं या जिसमें भारत सरकार विदेश मंत्रालय की वेबसाइट पर दिए गए ऐसे देशों की अद्यतन सूची के अनुसार परियोजनाओं के विकास में कार्य कर रही है, तो इस प्रकार का पंजीकरण इस आरएफपी के अंतर्गत पात्र होने हेतु अपेक्षित नहीं है।
- बोलीदाता को **अनुलग्नक V** में संलग्न प्रारूप के अनुसार प्रमाण पत्र भी प्रस्तुत करना होगा। यदि सफल बोलीदाता द्वारा प्रदान किया गया प्रमाण पत्र नकली पाया जाता है तो यह निविदा के निरस्तीकरण का आधार बनेगा तथा कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी।
- इस खंड के प्रयोजन हेतु
 - i. “बोलीदाता” (कुछ संदर्भों में 'निविदा', 'सलाहकार' अथवा 'सेवा प्रदाता' शब्द सहित) से तात्पर्य है, कोई भी व्यक्ति या फर्म या कंपनी, जिसमें सहायता संघ या संयुक्त उद्यम (जो कई व्यक्तियों या फर्मों या कंपनियों का संघ है), प्रत्येक कृत्रिम न्यायिक व्यक्ति जो एतदपूर्व उल्लिखित बोलीदाताओं के किसी भी विवरण में नहीं आता, जिसमें किसी भी एजेंसी शाखा या कार्यालय को ऐसे व्यक्ति द्वारा नियंत्रित किया जाता है, जो खरीद प्रक्रिया में भाग लेता है, शामिल है।
 - ii. इस आदेश के उद्देश्य हेतु "भारत के साथ भूमि सीमा साझा करने वाले देश से बोलीदाता" का अर्थ: -
 - (i) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्था; या
 - (ii) देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत सहायक कंपनी या संस्था; याक. देश में शामिल, स्थापित या पंजीकृत संस्थाओं के माध्यम से वास्तव में नियंत्रित की गयी संस्था; या
ख. संस्था जिसका लाभकारी मालिक देश में स्थित है; या
ग. संस्था का भारतीय (या अन्य) एजेंट; या
घ. साधारण व्यक्ति जो देश का नागरिक है; या
ङ. सहायता संघ या संयुक्त उद्यम जहां सहायता संघ या संयुक्त उद्यम का कोई भी सदस्य उपरोक्त में से किसी के अंतर्गत आता है।
 - iii. उपर्युक्त (ख) के प्रयोजन हेतु लाभकारी मालिक निम्नानुसार होगा।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

1. कंपनी या सीमित देयता भागीदारी के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, स्वामित्व हित को नियंत्रित रखता है या जो अन्य माध्यमों से नियंत्रण रखता है।

"स्वामित्व हित को नियंत्रित करना" का अर्थ है, कंपनी के शेयरों या पूंजी या लाभ के पच्चीस प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;

"नियंत्रण" में निदेशकों के बहुमत को नियुक्त करने या उनके शेयरहोल्डिंग या प्रबंधन अधिकारों या शेयरधारकों के करार या वोटिंग करार सहित के आधार पर प्रबंधन या नीतिगत निर्णय को नियंत्रित करने का अधिकार शामिल होगा;

- ii. साझेदारी फर्म के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, उसके पास साझेदारी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक पूंजी या लाभ की हकदारी का स्वामित्व है;
- iii. अनिगमित संघ या वैयक्तिकों के निकाय के मामले में, लाभकारी मालिक साधारण व्यक्ति है, जो अकेले या किसी के साथ या एक या एक से अधिक न्यायिक व्यक्ति के माध्यम से कार्य करता है, जिसके पास संघ या वैयक्तिकों के निकाय की संपत्ति या पूंजी का पंद्रह प्रतिशत से अधिक का स्वामित्व या हकदारी;
- iv. जहां किसी भी साधारण व्यक्ति की पहचान उपर्युक्त (i) या (ii) या (iii) में नहीं की गयी है, लाभकारी मालिक प्रासंगिक साधारण व्यक्ति है जो वरिष्ठ प्रबंध अधिकारी का पद ग्रहण करता है;
- v. न्यास के मामले में, लाभकारी मालिक की पहचान में न्यास के प्रणेता, न्यासी, न्यास में पंद्रह प्रतिशत या इससे अधिक ब्याज के साथ लाभार्थी और कोई भी अन्य साधारण व्यक्ति जो नियंत्रण स्वामित्व की श्रृंखला के माध्यम से न्यास पर अंतिम प्रभावी नियंत्रण का उपयोग करता है, शामिल होगी।
- vi. एजेंट एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी दूसरे के लिए कोई भी कार्य करने या तीसरे व्यक्ति के साथ डील करने में दूसरे व्यक्ति की जगह नियोजित होता है।

33. भुगतान की शर्तें

भुगतान शर्तें इस प्रकार हैं:

कोई भी भुगतान रा.आ.बैंक द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर पत्रिका की हार्ड कॉपी एवं सॉफ्ट कॉपी की डिलीवरी के बाद ही जारी किया जाएगा। कार्य हेतु सभी भुगतान सांविधिक कटौती के बाद किए जाएंगे।

वार्षिक रिपोर्ट 2021-22 की डिजाइनिंग, फॉर्मेटिंग और मुद्रण के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध (आरएफपी)

34. संविदा की समाप्ति के मामले में भुगतान

क. आरएफपी की शर्तों के अधीन, यदि संविदा का समापन होता है तो सेवाओं के प्रति भुगतान लागू दंड और टीडीएस /अन्य लागू करों को काटने के पश्चात उस अवधि जिसके लिए वे सेवाएं दी गई हों, के लिए यथानुपात आधार पर किया जाएगा।

ख. समनुदेशन

सलाहकार रा.आ.बैंक की पूर्व लिखित सहमति के अलावा, अनुबंध के तहत कार्य-निष्पादन करने हेतु अपने दायित्वों को पूर्ण या आंशिक रूप से समनुदेशन/उप-अनुबंध नहीं करेगा।

ग. अनुबंध की अवधि

अनुबंध स्वीकृति के बाद दो वर्ष के लिए वैध होगा, जिसे कार्य आदेश/ कार्य प्रदान करने की तिथि से समान नियमों एवं शर्तों और कार्य-निष्पादन समीक्षा के आधार पर एक और वर्ष हेतु बढ़ाया जा सकता है।

अन्य निबंधन व शर्तों तथा प्रारूपों के लिए निम्नलिखित वेबसाइट पर जाएं:

www.nhb.org.in – What's New

कृपया नोट करें – अंग्रेजी आरएफपी संस्करण राष्ट्रीय आवास बैंक की वेबसाइट www.nhb.org.in में What's New हेड पर उपलब्ध है।

**किसी भी विवाद की स्थिति में दस्तावेज का अंग्रेजी संस्करण मान्य होगा।*

XXXXXXXXXXXX